न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर ﴾म0 प्र0﴿

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.30/-

रामसजीवन पटेल तनय श्री हीरालाल पटेल उम्र 56 वर्ष पेशा सेवानिवृत ﴾नौकरी﴿ निवासी ग्राम बंजारी तहसील गुढ जिला रीवा म0 प्र0 –

अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पेश 3-7-17

III/निग./रीवा/भू.रा./2017/2045 ------- आवेदक/निग. कर्ता.

बनाम0

कलर्क स्टाफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (शीर्षक कोर्ट)

1- श्री अरूण कुमार मिश्रा तनय श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा उम्र 54 वर्ष पेशा इन्जीनियर ﴾ कर्मचारी﴿ निवासी ग्राम बंजारी तहसील गुढ जिला रीवा ﴾म0 प्र0﴿

2- म0प्र0 शासन ------------गैर निग. कर्ता गण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गुढ जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ के रा0प्र0क्र0 15/अ-12/2016-17 आदेश दिनांक 21-6-17 को पारित

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य

निगरानी के मुख्य तथ्य निम्न लिखित है :-

﴾1﴿ यह कि निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता गण एक ही गाव के निवासी है जहा पर निगरानी कर्ता के स्वत्व कब्जे दखल एवं पट्टे की भूमि ख0क्र0 305 जिसमे पक्का मकान बना है एवं गैर निगरानी कर्तागण की भूमि

क्र- 2

रामसजीवन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/निग./रीवा/भू.रा./2017/2045

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ तहसील गुढ़ जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–6–17 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन पर उसके स्वामित्व की ग्राम बंजारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 330 एंव 335 का हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 27–5–17 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है , जिस पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति की गई है। राजस्व निरीक्षक ने आवेदक एंव आपत्तिकर्ता अनावेदकगण को सुनकर आदेश दिनांक 21–6–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरुद्ध यह निगरानी है। आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि बिना मुस्तकिल सीमा चिन्ह के	

सीमांकन गलत करते हुये सीमायें बताई गई है। संपूर्ण सीमांकन गलत किया गया है। राजस्व निरीक्षक के समक्ष जब आपत्ति की गई, राजस्व निरीक्षक का दायित्व था कि वह हितबद्ध पक्षकारों एंव मेढ़िया कास्तकारों के समक्ष पुनः सीमांकन करते, किन्तु उन्होंने आपत्ति को व्यर्थ निरस्त करके सीमांकन स्वीकार किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे। विचार योग्य बिन्दु है कि यदि आवेदकगण पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन के संबंध में पारित आदेश दिनांक 24-2-16 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-6-17 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य